

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/आर-90/2023-

/स्वा०, पटना, दिनांक

/ / 2025

डा० प्रत्यय अमृत, तत्कालीन सीनियर रेजिडेंट(सर्जरी विभाग), श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोडासहन, पूर्वी चम्पारण के दिनांक 15.09.2020 से 29.03.2022 तक की अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है-

1	दिनांक 15.09.2020 से 14.12.2021 तक	- अध्ययन अवकाश को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अवधिसूचना संख्या-2045(2), दिनांक 30.11.2011 के आलोक में)
2	दिनांक 15.12.2021 से 29.03.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)

2. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-90/2023-

1343(2)

पटना, दिनांक 31/7/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोडासहन, पूर्वी चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण/डा० प्रत्यय अमृत, तत्कालीन सीनियर रेजिडेंट(सर्जरी विभाग), श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोडासहन, पूर्वी चम्पारणको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव